Phone: 0172-2780408
: 0172-2542106

E-mail : dco-har.rol@censusindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मन्त्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, HARYANA
"जनगणना भवन", प्लाट नं: 2–बी, सैक्टर 19–ए, मध्य मार्ग, पोस्ट बाक्स नं: 764, चण्डीगढ़–160019
"Janganana Bhawan", Plot No.2-B, Sector 19-A, Madhya Marg, Post Box No.764, Chandigarh–160019

No. Cen-Hr-O-27011/2025 / 2696-3184 दिनांक : 22.08.2025

Circular No. 1

To

1. All the Divisional Commissioners cum Divisional Census Officers.
2. All the Commissioners Municipal Corporations cum Principal Census Officers.
3. All the Deputy Commissioners cum Principal Census Officers.

Subject: Planning for the Census 2027-Jurisdictional changes and lists of districts, tahsils/talukas/ C.D. Blocks, towns and villages- Compilation thereof.

Madam/sir,

As you are aware, the notification of intent to conduct the Census 2027 has already been issued. The Houselisting and Housing Census (Phase-I) would be undertaken in one month's time during the period April-September, 2026 as per the convenience of the State/Union Territory and the Population Enumeration (Phase-II) would be conducted in February, 2027. This is a gigantic task of national importance. Like the previous censuses, every stage of work is to be accomplished with great care and in a time-bound manner.

2. The basic purpose of the census being enumeration of all individuals in the country without any omission or duplication, preparation of a complete and updated list of all territorial entities in the entire country well in advance of the next census is required. It is needless to mention that each state or union territory is divided into districts, each district into sub-districts/tehsils/talukas/-/community development blocks etc. and further into towns/wards in urban areas and villages in rural areas. As such, an important preparatory work in connection with the Census 2027 is to collect and compile the details of all the jurisdictional changes that have occurred so far after the Census 2011 and that will occur hereafter till the freezing of the boundaries of the administrative units for Census 2027, i.e. up to 31st December, 2025. The jurisdictional changes may include any of the changes listed below:

a) Creation of new districts.
b) Change in jurisdiction of existing districts.
c) De-notification of existing districts.
d) Creation of new sub-districts.
e) Change in jurisdiction of existing sub-districts.
f) De-notification of existing sub-districts.
g) Creation of new village by splitting/merging of existing village.
h) Change in jurisdiction of existing town area.

Director Secondary Education Haryana
Diary No......
05 SEP 2025
45987
Panchkula

i) Exclusion of areas from town.
j) Notification of new town.
k) De-Notification of existing town.
l) Change in name/spelling of the above entities.
m) Change in the ward boundaries of a town.
n) Any other jurisdictional changes.

3. The list of villages should include not only inhabited but also uninhabited ones as well as hamlets/Dhanis, if any. All the concerned district authorities may be conveyed with a line of caution that in the past a number of court cases have been encountered due to non-inclusion of the genuine village(s) and/or reporting of incorrect name of the village in the Village list by some of the concerned sub-district level officers. **The onus of preparing the correct and updated list of villages in connection with Census 2027, as such, would remain with the concerned sub-district level officers.**

4. As regards, updating the list of towns, it is known that the State Governments establish Local bodies/Municipalities etc. through notifications in the official gazette within their jurisdiction from time to time. These notifications delineate areas which would indicate the municipal limits in terms of villages or parts thereof. Since Census 2011, there would have been several changes in the form of additions and deletions in the list of Local bodies. Therefore, you are requested to supply the copies of the document(s)/notifications for notification/de-notification of towns etc. or effecting jurisdictional changes in the boundaries of the existing towns.

5. Further, Urban Local Bodies (ULBs) are requested to provide geospatial data of ward boundaries. If geospatial data is not available, a hardcopy map of the town showing ward boundaries may be supplied. As ward delimitation processes are at different stages across various Statutory towns, it is important to assess the current status and ensure timely updates of ward-level information.

6. You are requested to sincerely put efforts for finalizing the jurisdictional changes in your district/sub district/town.

Looking forward for your cooperation in successful conduct of Census 2027.

Yours faithfully

(Lalit Jain, IAS)
Director

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. Chief Secretary, Government of Haryana Chandigarh.
2. Additional Chief Secretary and Financial Commissioner Revenue and Disaster management Department, cum Nodal Officer, Haryana, Chandigarh.
3. Additional Chief Secretary Home, Government of Haryana, Chandigarh.
4. Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government of Haryana, Local Government, Haryana, Chandigarh.
5. Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government of Haryana, Development & Panchayat Department, Haryana, Chandigarh
6. Additional Chief Secretary, Human Resource Department, Haryana, Chandigarh
7. Registrar General and Census Commissioner of India, New Delhi
8. Principal Secretary to the Government of Haryana, Welfare of SC & BC Department.
9. Special Secretary Revenue Department, Haryana, Chandigarh.
10. Director, Urban Local Bodies Haryana, Panchkula.
11. Director Development & Panchayats Haryana, Chandigarh.
12. Director Land Records Haryana, Panchkula.
13. Director, Economic & Statistical Analysis, Haryana, Panchkula.
14. Director General, School Education, Haryana, Panchkula.
15. Director, Higher Education, Haryana, Panchkula.
16. Director, Elementary Education, Haryana, Panchkula.
17. Director General, Women & Child Development Department, Haryana, Panchkula.
18. Director, Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Haryana, Panchkula.

(Lalit Jain, IAS)
Director

Copy is forwarded for necessary action to:-

1. All the Additional Deputy Commissioners, Haryana.
2. All the Sub Divisional Officers (Civil), Haryana.
3. All the City Magistrates of Haryana.
4. All the Joint Commissioners of Municipal Corporations.
5. All the District Education Officers Haryana
6. All the District Elementary Education Officers Haryana.
7. All the District Revenue Officers Haryana
8. All the ZTOs of Municipal Corporations.
9. All the District Informatics Officers (DIO) Haryana.
10. All the Executive Officers/Secretaries of Municipal Councils/Committees Haryana.
11. The Chief Executive Officer, Cantonment Board, Ambala Cantt.
12. All the Tahsildars in Haryana.
13. All the District Statistical Officers in Haryana.

(Lalit Jain. IAS)
Director

Phone. 0172-2780408
0172-2542106

E-mail :dco-har.rgi@censusindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मन्त्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, HARYANA

जनगणना भवन, प्लाट नं0: 2-बी, सैक्टर 19-ए मध्य मार्ग, पोस्ट बाक्स नं0: 764, चण्डीगढ़-160019
"Janganana Bhawan", Plot No.2-B, Sector 19-A, Madhya Marg, Post Box No.764, Chandigarh-160019

No. Cen-Hr-O-27011/2025/2696-3184 दिनांक : 22.08.2025

परिपत्र संख्या -1

सेवा में

1. सभी मण्डल आयुक्त सह मण्डल जनगणना अधिकारी।
2. सभी आयुक्त नगर निगम सह प्रधान जनगणना अधिकारी।
3. सभी उपायुक्त सह प्रधान जनगणना अधिकारी।

विषय: **जनगणना 2027 की योजना-क्षेत्राधिकार परिवर्तन और जिलों, तहसीलों/तालुकाओं/जिला विकास खंडों, नगरों और गांवों की सूची के संकलन के संदर्भ में।**

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2027 कराने की मंशा की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनगणना का प्रथम चरण अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधानुसार अप्रैल-सितंबर, 2026 की अवधि के दौरान एक महीने की अवधि में की जाएगी और जनगणना का द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या की गणना फरवरी, 2027 में की जाएगी। यह राष्ट्रीय महत्व का एक विशाल कार्य है। पूर्ववर्ती जनगणनाओं की भांति, जनगणना के प्रत्येक चरण को अत्यंत सावधानी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है।

2. जनगणना का मूल उद्देश्य बिना किसी चूक या दोहराव के देश के सभी व्यक्तियों की गणना करना है, इसलिए, अगली जनगणना से पहले पूरे देश में सभी प्रशासनिक इकाइयों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची तैयार करना आवश्यक है। यह स्वत: स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ज़िलों में, प्रत्येक जिला उप-ज़िलों/तहसीलों/तालुकों /सामुदायिक विकास खंडों आदि में विभाजित है जो आगे शहरी क्षेत्रों में नगरों /वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार, जनगणना 2027 के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य, यह है कि जनगणना 2011 के बाद अब तक और इसके पश्चात हुए जनगणना 2027 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के सीमांकन किए जाने , अर्थात 31 दिसंबर, 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार में जो भी परिवर्तन हुए हैं या होंगे-उन सभी का विवरण एकत्रित करना और संकलित करना आवश्यक है। क्षेत्राधिकार परिवर्तनों में नीचे सूचीबद्ध परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन शामिल हो सकते हैं:-

क) नए जिलों का सृजन।
ख) मौजूदा जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन।
ग) मौजूदा जिलों की अधिसूचना का रद्दकरण।
घ) नए उप-जिलों का सृजन।
ङ) मौजूदा उप-जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन।
च) मौजूदा उप-जिलों की अधिसूचना का रद्दकरण।
छ) मौजूदा गाँव को विभाजित/विलय करके नए गाँव का निर्माण।
ज) मौजूदा नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन।

ललित जैन

झ) नगरं से क्षेत्रों का बहिष्करण।
ञ) नए नगर के सृजन की अधिसूचना।
ट) मौजूदा नगर की अधिसूचना का रद्दकरण।
ठ) उपरोक्त प्रशासनिक इकाइयों के नाम/वर्तनी में परिवर्तन।
ड) नगर की वार्ड सीमाओं में परिवर्तन।
ढ) क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य कोई परिवर्तन।

3. गाँवों की सूची में न केवल बसे हुए गाँवों को बल्कि ऐसे गाँवों जोकि वीरान हैं तथा बस्तियों/ढाणियों यदि कोई हो को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी संबंधित जिला अधिकारियों को सावधानी के साथ सूचित किया जाए कि पूर्व में कुछ संबंधित उप-जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक गाँव(गाँवों) को शामिल न करने और/या गाँव का गलत नाम गाँव सूची में दर्ज करने के कारण कई न्यायिक मामले सामने आए हैं। **जनगणना 2027 के संबंध में गाँवों की सही और अद्यतन सूची तैयार करने का दायित्व संबंधित उप-जिला स्तरीय अधिकारियों पर ही रहेगा।**

4. जहाँ तक नगरों की सूची को अद्यतन करने का संबंध है, यह सर्वविदित है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शासकीय राजपत्र में अधिसूचनाओं के माध्यम से स्थानीय निकाय/नगरपालिकाएँ आदि का गठन करती हैं। ये अधिसूचनाएँ ऐसे क्षेत्रों का निरूपण करती हैं जो गाँवों या उनके भागों के संदर्भ में नगरपालिका सीमाओं को दर्शाते हैं। 2011 की जनगणना के बाद से, स्थानीय निकायों की सूची में जोड़ और विलोपन के रूप में कई परिवर्तन हुए होंगे। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि नगरों आदि की अधिसूचना/अधिसूचना रद्द करने या मौजूदा कस्बों की सीमाओं में क्षेत्राधिकार संबंधी परिवर्तन करने के लिए दस्तावेज़/अधिसूचनाओं की प्रतियाँ इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रदान करें।

5. इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) से वार्ड सीमाओं का भू-स्थानिक डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। यदि भू-स्थानिक डेटा उपलब्ध नहीं है, तो नगर की वार्ड सीमाओं को दर्शाने वाले शहर के मानचित्र की हार्डकॉपी प्रदान की जाए। चूँकि विभिन्न वैधानिक नगरों में वार्ड बंदी प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, इसलिए वर्तमान स्थिति का आकलन करना और वार्ड-स्तरीय जानकारी का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

6. आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले/उप-जिले/नगर में क्षेत्राधिकार संबंधी परिवर्तनों को अंतिम रूप देने के लिए निष्ठापूर्ण सतत प्रयास करें।

जनगणना 2027 के सफल संचालन में आपके सहयोग की आशा है।

भवदीय

ललित जैन

(ललित जैन, भा. प्र. से.)
निदेशक

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,सह नोडल अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय, हरियाणा, चंडीगढ़।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मानव संसाधन विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।
7. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।
8. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
9. विशेष सचिव, राजस्व विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।
10. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकूला।
11. निदेशक, विकास एवं पंचायत हरियाणा, चंडीगढ़।
12. निदेशक, भू अभिलेख हरियाणा, पंचकूला।
13. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा, पंचकूला।
14. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
15. निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
16. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
17. महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
18. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, हरियाणा, पंचकूला।

ललित जैन

(ललित जैन, भा. प्र. से.)
निदेशक

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. सभी अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा।
2. सभी उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।
3. हरियाणा के सभी नगराधीश।
4. नगर निगमों के सभी संयुक्त आयुक्त।
5. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा।
6. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा।
7. सभी जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा।
8. नगर निगमों के सभी जोनल टैक्सेशन अधिकारी।
9. सभी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), हरियाणा।
10. सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/समितियाँ, हरियाणा।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, अंबाला छावनी।
12. सभी तहसीलदार, हरियाणा।
13. हरियाणा के सभी जिला सांख्यिकी अधिकारी।

ललित जैन

(ललित जैन, भा. प्र. से.)
निदेशक